**प्रकरण संख्या 72/2015 ओमप्रकाश बनाम सरकार व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.03.20 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादडी में आराजी नंबर 581 रकबा 0.500 एवं 582 रकबा 0.600 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 18 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसका आपसी विभाजन होकर वादी के हिस्से की भूमि संलग्न नक्शे में अंकित भूखण्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों/कर्मचारियों ने वादी के आधिपत्य के भूखण्ड के पडोस की अधिग्रहण में आने वाली भूमि के भूमिधारियों से मिलीभगत करके वादी के उक्त भूखण्ड में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। अतः निवेदन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी भूमि जो आराजी नंबर 281 व 282 का जूज हिस्सा होकर जिसकी लम्बाई 120 फिट एवं चौडाई 36 फिट होकर कुल क्षेत्रफल 4320 वर्ग फिट है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न किसी प्रकार की तोड फोड करें, न इस भूखण्ड में प्रवेश करें, न इसमें किसी प्रकार के सीमा चिन्ह ही लगावें, न इस स्ट्रिप को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बनाई जा रही लिंग रोड़ में ही सम्मिलित करें।<br><br>प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 8 तनकियां कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 13.07.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5, 6 की ओर से वकील श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 से 14 की ओर से वकील श्री अर्जुनलाल मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र जैन उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। | |

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील 6 दिन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सशपथ आवेदन प्रस्तुत कर मयाद कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कुल 8 तनकियां बनायी किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं कर सभी तनकियों का एक साथ विवेचन किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिग्रहित की जाने वाली 1400 वर्गफिट भूमि के बदले इतनी ही भूमि अपीलान्ट को दिलाये जाने हेतु नगर विकास प्रन्यास को आदेशित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 8 तनकियों का निर्धारण किया गया, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं कर सभी तनकियों का एक साथ विवेचन कर दिया है जो प्रथम दृष्टया आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियों पर प्रत्येक तनकी का अलग–आलग विवेचन करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:27:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: